प्रेस नोट

राजस्थान बजट 2008–09

राजस्व आधिक्य

- बजटीय अनुमान (BE 2007–08) 214 करोड़ 76 लाख –– राजस्व प्राप्तियों का 0.75 प्रतिशत
- संशोधित अनुमान (RE 2007–08) 247 करोड़ 38 लाख –– राजस्व प्राप्तियों का 0.82 प्रतिशत
- बजटीय अनुमान (BE 2008–09) 1 हजार 183 करोड़ 14 लाख –– राजस्व प्राप्तियों का 3.59 प्रतिशत

राजकोषीय घाटा

- बजटीय अनुमान (BE 2007–08) 5 हजार 321 करोड़ 52 लाख –– सकल घरेलू उत्पाद का 3.34 प्रतिशत
- संशोधित अनुमान (RE 2007–08) 5 हजार 420 करोड़ 86 लाख –– सकल घरेलू उत्पाद का 3.40 प्रतिशत
- बजटीय अनुमान (BE 2008–09) 5 हजार 266 करोड़ 91 लाख –– सकल घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत

अन्य

- राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि में 531 करोड़ 75 लाख रूपये का हस्तान्तरण।
- वर्ष 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भंग करते समय 1 हजार 655 करोड़ 81लाख रूपये का ऋण, जो अपलिखित किया जाना आवश्यक था, आखिर इस वर्ष अपलिखित।
- घोषित नई योजनाओं की अनुमानित आवश्यकता, 1 हजार 780 करोड़ रूपये की पूर्ण व्यवस्था।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2006–07 की रिपोर्ट के कुछ उद्धरणः

"The state has achieved fiscal targets as laid down in the FRBM Act much before the time line indicated therein with the current year ending in a revenue surplus of Rs. 638 crore and fiscal deficit of Rs. 3970 crore which was 2.8% of the GSDP. The ratio of outstanding debt liabilities during 2006-07 was also within the ceiling prescribed under the FRBM Act."

"The persistent negative resource gap indicates non-sustainability of debt while the positive resource gap strengthens the capacity of the state to sustain the debt. While 2001-04 reflects the negative gap, 2004-07 reflects the

positive gap indicating increasing capacity of the state to sustain the debt in the medium to long term."

"During the year - - - the focus of the government seems to be on discharging past debt obligations both on account of principal and interest payments on loans raised from the market as well as from Government of India."
"The primary deficit, which persisted in the state budget till 2004-05 also took a turn around and resulted into a primary surplus during the last two years."

"Despite an increase of Rs. 514 crores in capital expenditure and decrease of Rs. 121 crores in loans and advances - - - fiscal deficit was reduced by Rs. 1180 crores on account of surplus of Rs. 1298 crores in revenue account and increase of Rs. 275 crore in non-debt capital receipts during 2006-07 over the previous years. FD- GSDP ratio decreased from 4.1% in 2005-06 to 2.8% in 2006-07."

"The balance from current revenue which became positive during 2005-06 was Rs. 2204 crores during 2006-07 - - - indicating ample funds were available for creation of assets and to meet state plan schemes."

"Table 30 reveals that the revenue account experienced a situation of huge deficit during the period 2001-05 - - - The deficit was reduced sharply to Rs. 660 crore during 2005-06 and revenue deficit turned in to a surplus of Rs. 638 crores during the current year."

योजना व्यय

- वर्ष 2003–04 में स्वीकृत वार्षिक योजना 4 हजार 258 करोड़ रुपये
- वर्ष 2007–08 में, RE के अनुसार, 13 हजार 684 करोड़ रुपये, और
- वर्ष 2008–09 में, BE के अनुसार, 15 हजार 248 करोड़ रुपये।
- 1999–2000 से 2003–04 पाँच वर्ष की अवधि में योजनागत व्यय, 22 हजार 78 करोड़ रुपये के मुकाबले, वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि में 52 हजार 192 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय, यानी यह लगभग ढ़ाई गुना होगा।

- राज्य की inter-state सीमा पर स्थित वाणिज्यिक कर विभाग की 67 सीमा चैक पोस्ट 1 मई, 2008 से समाप्त ।
- VAT के प्रथम वर्ष 2006–07 में दी गई रियायतें 1 अप्रेल, 2006 से लागू।
- 13 मई, 2002 से 25 सितम्बर, 2005 की अवधि में हुई, बिना C-Form समर्थित inter-state sales पर राज्य दर से अधिक कर दायित्व अपलेखित किया जाना प्रस्तावित है।
- व्यवहारी जो दिनांक 26 सितम्बर, 2005 और 31 मार्च, 2007 के बीच सी–फार्म नहीं जमा करवा पाये, उन पर राज्य की कर दर से अधिक किये गये करारोपण को भी अपलेखित किया जायेगा।
- Air Line Company, hub, फ्लाईंग क्लब तथा बिना जुड़े शहरों को वायु सेवा से जोड़ने पर ATF पर 28 प्रतिशत से 4 प्रतिशत ।
- मनोरंजन कर की दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 1 अप्रेल, 2008 से 30 प्रतिशत
- एक लाख से कम आबादी के कस्बों के लिये Projector द्वारा संचालित सिनेमाघर 1 अप्रेल, 2008 से मनोरंजन कर से मुक्त ।
- सिनेमाघर मालिकों को 1 अप्रेल, 2008 से टिकिटों की दरों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की सुविधा।
- DTH Service providers पर 10 प्रतिशत मनोरंजन कर ।
- उद्योग विहीन जिलों में 500 करोड़ या उससे अधिक के पहले तीन निवेशकों को बड़े customised incentive package दिया जायेगा।
- रूग्ण औद्योगिक ईकाइयों को 31 मार्च, 2009 तक पुनः चालू करने पर, औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत बकाया राशि के लिये deferment की सुविधा देय ।
- राजस्थान स्टाम्प एक्ट के तहत अपील हेतु 50 प्रतिशत राशि के स्थान पर 25 प्रतिशत राशि ही जमा करानी होगी।
- खनिज अधिकार पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर (cess)
- 5 वर्ष पुराने वाहनों (तिपहिया वाहनों को छोड़कर) पर ग्रीन टैक्स, 200 रूपये के स्थान पर 500 रूपये प्रति वर्ष ।

कर रियायते :–

- Wick-Stove and Kerosene-Stove, Solar Cooker Wooden Hand Blocks, pappad khar, कांगणी, गोबर गैस प्लान्ट कर से मुक्त किये गये।
- करणी, गुरमाला, लोहे की छेनी, सावल, गुनियॉ, रन्दा, बसौला, कोयलाप्रेस, hair cutting machine, जूते मरम्मत में उपयोग में आने वाला फर्मा, तथा लोहे के wire brush को कर मुक्त
- ACSR Conductor की कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत ।
- लिमिटेड कम्पनियों द्वारा परिचालित stores में फल एवं सब्जी पर 4 प्रतिशत कर ।
- मार्बल की कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत।
- तैयार कोटा स्टोन पर अब 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत कर।
- ऐसे अस्पतालों, जिनको रियायती दर पर जमीन उपलबध कराई गयी है, उनके द्वारा 20 प्रतिशत indoor एवं 20 प्रतिशत outdoor गरीब मरीजों को निशुल्क सेवा उपलब्ध कराने पर, कमरे विलासिता कर से मुक्त।
- चल सम्पत्ति जैसे कि टी.वी., फ्रिज का विक्रय स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त।
- विश्व प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र में royalty paid मार्बल ब्लॉक पर कटिंग के बाद 50 प्रतिशत के स्थान पर 70 प्रतिशत finshed material के बहिर्गमन को नियत
- वाहन के नष्ट होने के संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि के बाद का कर एवं शास्ती माफ ।
- कन्ट्रेक्ट कैरेज की परमिट पर pro-rata कर निर्धारित ।
- दलहन की रियायती कर दर 1 प्रतिशत की अवधि को 1 वर्ष के लिये बढ़ाया ।
- DLC Rate से अधिक दर पर पंजीयन कराने की स्थिति में स्टाम्प डयूटी पर 50 प्रतिशत छूट देय।

प्रक्रिया का सरलीकरणः–

- वाणिज्यिक कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, तथा राज्य में 31 जनवरी, 2008 से इस on line computerized system (Raj-Vista) के माध्यम से व्यवहारियों को e-filing of return एवं e-payment की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

- व्यवहारियों को शीध्र रिफण्ड उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से, वैट के electronic refund दिये जाने की पारदर्शी व्यवस्था अगस्त, 2008 से प्रारम्भ की जायेगी।
- व्यवहारियों को वार्षिक अथवा मासिक return के आधार पर भी कर निर्धारण की सुविधा दी गई है।
- e-filing करने वाले, अथवा इनकी soft copy प्रस्तुत करने वाले व्यवहारियों को, वार्षिक ऑडिट–रिपोर्ट पेश करने से मुक्त किया गया।
- ऐसे Works Contractors, जो मुक्ति शुल्क का विकल्प अपनाते है, उन्हें त्रैमासिक रिटर्न के स्थान पर वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई ।
- Capital Goods का input tax credit सितम्बर एवं मार्च, दो अर्द्धवार्षिक किश्तों में दिया जायेगा।
- Tax Settlement Board में दो non-official सदस्यों की नियुक्ति ।
- राज्य में अर्न्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त HSN (Harmonized System of Nomenclature) व्यवस्था, अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक लागू की जायेगी।
- सिनेमा मालिकों को भी e-filing of return एवं e-payment की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

सड़कें :

- सड़कों पर कुल 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित व्यय, जो पूर्व पाँच वर्ष के 1 हजार 905 करोड़ रुपये से पाँच गुना है।
- Rural connectivity, जो वर्ष 2000–2001 में राष्ट्रीय औसत, 60 प्रतिशत की तुलना में मात्र 50 प्रतिशत थी, अब बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत में बढ़ोतरी केवल 65 प्रतिशत तक ही हुई है।
- भारत निर्माण योजना के rural connectivity के लक्ष्य समय से एक वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर, राजस्थान यह उपलब्धि अर्जित करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है।
- 9 हजार 188 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 9 हजार 96 को पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है, और शेष 92 मुख्यालयों को भी अक्टूबर, 2008 तक डामर सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।
- प्रदेश के 500 तक की आबादी के समस्त गाँवों और जनजाति एवं रेगिस्तानी इलाके में 250 तक की आबादी के सभी गाँवों को दिसंबर 2008 तक पूर्ण किया जायेगा। इससे कम आबादी के गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिए केन्द्र की कोई योजना नहीं है। परंतु राज्य सरकार ने अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया है कि सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के, एवं रेगिस्तानी व जनजाति क्षेत्रों के समस्त गाँवों को सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। आवश्यक 3 हजार 276 करोड़ रुपये की व्यवस्था बाहरी ऋण के माध्यम से की जायेगी।

विद्युत :

- दिसम्बर 2003 की 4 हजार 984 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ा कर 6 हजार 395 मेगावाट किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंत तक 2 हजार 19 मेगावाट क्षमता की और वृद्धि होगी।
- 125 मेगावाट क्षमता की गिराल लिग्नाइट योजना एवं 26 साल से अटकी हुई 330 मेगावाट क्षमता की धोलपुर गैस परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ।
- इसके अतिरिक्त 1 हजार 200 मेगावाट की कालीसिंध और 500 मेगावाट क्षमता की छबड़ा द्वितीय विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इन पर वर्ष 2008–09 में कार्य प्रारंभ कर, 2011–12 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- श्यामाप्रसाद मुखर्जी विजय ज्योति फीडर सुधार अभियान के तहत 4 हजार 916 फीडर का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे 9.37 प्रतिशत छीजत की कमी आई है, और 19 हजार से अधिक गाँवों को निकटतम शहर के समान बिजली आपूर्ति की जा रही है। राज्य के सभी 34 हजार गाँवों को जुलाई 2008 से निरन्तर शहरों के समान बिजली की सप्लाई मिला करेगी।
- कुटीर ज्योति योजना में मार्च 2008 में समाप्त हो रहे चार वर्षों में ही, 3 लाख 50 हजार कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

- वार्षिक योजना 2008–09 में विद्युत क्षेत्र के लिए 6 हजार 212 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है, जो कि कुल योजना का 40.74 प्रतिशत है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं की 33 परियोजनाएं वर्ष 2005 में ही राज्य सरकार ने भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी थीं। 15 जिलों की योजनाएं अब भी भारत सरकार के स्तर पर लंबित हैं।
- वर्ष 2008–09 में 400 KV के 2, 220 KV के 4, 132 KV के 12 और 33 KV के 180 नये ग्रिड सब–स्टेशनों पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इसके साथ ही, extra high voltage के ग्रिड सब–स्टेशनों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा।
- वर्ष 2008–09 से **'मुख्यमंत्री–सबके–लिए–विद्युत–योजना'**, लागू होगी। इसके तहत 11 KV फीडर से एक किलोमीटर दूरी के अंदर 10 या उससे अधिक घरों द्वारा सामूहिक रूप से आवेदन करने पर, मात्र 3 हजार 500 रुपये में घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

जल संसाधन :

जल–संसाधन के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है:

- सरकार ने सभी 163 लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया था।
- इनमें से, सभी 149 minor परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है।
- सात में से 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।
- सात में से तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, यथा माही, बीसलपुर और रतनपुरा को भी पूर्ण कर लिया गया है।
- गत् चार वर्षों में प्रति वर्ष एक लाख से अधिक हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया।

माही बेसिन में 147 TMC पानी है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई माही, कडाना और अन्य परियोजनाओं से 123 TMC के पानी का उपयोग सुनिश्चित हुआ है। पानी के पूर्ण उपयोग हेतु, एक मास्टर प्लान बनाकर इसको प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा जिससे 1 लाख से भी अधिक हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के रख–रखाव हेतु दशकों से वित्तीय प्रावधान नगण्य के बराबर हुए। इस वित्तीय वर्ष में पहली बार रख–रखाव हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान। वर्ष 2008–09 में भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें पार्वती नहर परियोजना की revamping भी सम्मिलित होगी।

पेयजल :

- दिसम्बर 2003 से आज तक एक लाख से ज्यादा नये hand-pump लगाये गये हैं।
- सात हजार से अधिक ट्यूबवैल्स का निर्माण किया गया है।
- राज्य में पेयजल परियोजनाओं पर 400 से 500 करोड़ रुपये वार्षिक रूप से व्यय हुआ करता था। इसको step-up करते हुए:
  - वर्ष 2004–05 में 619 करोड़ रुपये
  - वर्ष 2005–06 में 790 करोड़ रुपये
  - वर्ष 2006–07 में 1 हजार 242 करोड़ रुपये व्यय हुए, और
  - वर्ष 2007–08 में 2 हजार 238 करोड़ रुपये व्यय होना अनुमानित है।
- उद्योगों एवं बगीचों आदि के लिए पीने योग्य शुद्ध पानी का कम से कम इस्तेमाल हो, इसलिए Recycled पानी के उपयोग की दर 25 प्रतिशत कम ।

मानव संसाधन विकास :

- पिछले 4 वर्षो में राजकीय कार्यों से लगभग 2 लाख 50 हजार व्यक्तियों को जुड़ने का मौका दिया गया है।
- वर्ष 2000–2001 में 33 लाख 55 हजार बालिकाएं विद्यालयों में नामांकित थीं। वर्ष 2006–07 में यह संख्या बढ़कर 56 लाख 14 हजार हो गई है।
- वर्ष 2001–02 में gender gap 17 प्रतिशत था। वर्ष 2006–07 में यह घट कर 10 प्रतिशत रह गया है।
- वर्ष 2005 में जहाँ 8 लाख 44 हजार बच्चे आठवीं कक्षा और 6 लाख 90 हजार बच्चे दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठे थे, अब बढ कर यह संख्या क्रमशः 11 लाख 26 हजार और 8 लाख 95 हजार हो गई है।
- वर्ष 2002–03 के अंत में जहां राज्य में 205 कॉलेज थे, अब यह संख्या बढ़ कर 996 हो गई है।
- वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2002–03 की अवधि में राज्य में 91 कॉलेज खुले, जबकि उसके बाद के पाँच वर्षों में 791 नये कॉलेज खोले गये हैं।
- अब राज्य में 57 हजार की जनसंख्या पर एक कॉलेज है, जो कि 77 हजार की आबादी पर एक कॉलेज के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- वर्ष 2002–03 में राज्य में तकनीकी शिक्षा के 254 संस्थान थे, जिनमें कुल प्रवेश क्षमता 26 हजार थी। अब ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या 729 और प्रवेश क्षमता तीन गुना से अधिक हो कर 82 हजार हो गई है।

- वर्ष 2007–08 से सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार सैकण्डरी विद्यालयों तक होना था। इस आश्वासन पर आधारित 1 हजार 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा और 150 करोड़ रुपये का प्रावधान। परंतु, केन्द्र द्वारा यह योजना लागू नहीं की गई।
- 2008–09 में 3 हजार 108 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा या निजी सहभागिता की योजना के अंतर्गत ऐसी पंचायतों में नये सैकण्डरी विद्यालय स्थपित किये जायेगें। इस हेतु 400 करोड़ रुपये का कार्यक्रम ।
- राजगढ़, सरदारशहर, चूरू, रतनगढ़, सूरजगढ़, झुंझुनू, नवलगढ़, गंगापुरसिटी, फतेहपुर, सीकर, लाडनूं, नागौर, मकराना एवं टोंक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले जायेंगे।
- कोलायत, जैसलमेर और सम पंचायत समिति में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु एक–एक छात्रावास खोला जायेगा।
- वर्ष 2008–09 में पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण school bag सहित करने हेतु एक नई 'वीणा–पाणि योजना' प्रारंभ ।
- राज्य की heritage libraries में पुरानी अनमोल पुस्तकों के digitisation हेतु मैं 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध ।
- जगत्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के संरक्षण में राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को अभियांत्रिकी विद्यालयों में विशिष्ठ प्रशिक्षण, ताकि उन्हें IT क्षेत्र में नियोजन मिल सके। प्रशिक्षण के दौरान, प्रत्येक छात्र को 1 हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता 6 माह तक मिलेगी तथा प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क होगा।
- राजस्थान विश्वविद्यालय में Centre for Converging Technologies को 2 करोड़ रुपये का अनुदान।
- गार्गी पुरस्कार की राशि 1 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष ।
- वर्ष 2008–09 से बारहवीं कक्षा में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को एकमुश्त 3 हजार रुपये के नये पुरस्कार की घोषणा।
- प्रत्येक राजकीय विद्यालय को, जिसका विद्यार्थी National Talent Scholarship Scheme हेतु चुना जाता है, 50 हजार रुपये प्रति चयनित विद्यार्थी की दर से पुरस्कृत करने की नई योजना। इस राशि में से 35 हजार रुपये विद्यालय के विकास और शेष 15 हजार रुपये उन दो अध्यापकों में समान रूप से वितरित किये जायेंगे जिनका चयन में सबसे अधिक योगदान रहा।
- प्रत्येक राजकीय विद्यालय को, जिसका कोई भी विद्यार्थी IITs, IIITs या राष्ट्रीय स्तर के AIIMS जैसे चिकित्सा महाविद्यालय में चयनित होता है, उसे 1 लाख रुपये प्रति चयनित विद्यार्थी की दर से पुरस्कृत किये जाने की नई योजना। इस राशि में से 70 हजार रुपये

विद्यालय के विकास पर खर्च किये जा सकेंगे। शेष 30 हजार रुपये विद्यार्थी द्वारा चयनित दो अध्यापकों में समान रूप से वितरित किये जायेंगे।

- अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की वर्षो से लंबित समस्याओं गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों मोटे रूप से स्वीकार। 1 अप्रेल, 2008 से इन संस्थाओं के अनुदान वृद्धि पर लगी रोक समाप्त । जिन स्कूलों ने SC एवं ST के सभी पदों को पूर्ण रूप से भरा है, उनकी grant 1 अप्रेल 2007 से defreeze। अनुदानित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों पर लगे कई नियंत्रण जैसे, फीस की आय को grant-in-aid की गणना करने के प्रावधान समाप्त । ऐसी संस्थाओं को, शिक्षकों के हितों को संरक्षित रखते हुए, दो exit option भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
- Charitable एवं निजी संस्थानों को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर senior secondary और secondary school स्थापित करने के लिए **'ज्ञानोदय योजना'** शुरू। यह योजना पूंजीगत सहायता, education vouchers के माध्यम से प्रतिमाह अनुदान और उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि पर आधारित होगी।
- इसी प्रकार बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों हेतु राजकीय विद्यालयों को adopt करने अथवा भूमि उपलब्ध करवाने और education vouchers पर आधारित **'शिक्षक का अपना विद्यालय'** योजना वर्ष 2008–09 से लागू ।
- वर्ष 2008–09 से प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय विद्यालयों के 10 लाख छात्रों हेतु **'बाल गणेश चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना'** की घोषणा।
- 1 हजार 500 प्रशिक्षित PTIs को sports-coach के रूप में लगाये जायेंगे जो स्थानीय विद्यालयों में भी सेवायें देंगे।
- स्टेडियम विकास कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- अगले वित्तीय वर्ष में महिला हॉकी अकादमी को अजमेर में प्रारंभ किये जाने की घोषणा। अजमेर में अधूरे रहे हॉकी स्टेडियम में Astro-turf को राज्य सरकार अपने खर्चे पर पूरा करवायेगी।
- Sports clubs या associations को पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट।
- राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों हेतु, वर्तमान में चल रही योजना का विस्तार करते हुए पदक जीतने वालों को निम्न पुरस्कार दिये जायें :
  - स्वर्ण पदक जीतने पर 10 हजार रुपये
  - रजत पदक जीतने पर 7 हजार 500 रुपये
  - कांस्य पदक जीतने पर 5 हजार रुपये

आजीविका और उद्योग :

- वर्ष 2004 में स्थापित Rajasthan Mission on Livelihood ने गत् तीन वर्षों में 1 लाख 8 हजार युवकों को रोजगार लायक क्षमताओं से प्रशिक्षित कराया ।
- स्थापित Animation Academy 100 युवकों के प्रथम batch को इस academy में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सफलता को देखते हुए वर्ष 2008–09 में, इस अकादमी को जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में भी खोलने की घोषणा
- automative design, draftsmanship और graphic design की अकादमियां भी वर्ष 2008–09 में स्थापित करना प्रस्तावित ।
- बेरोजगारी भत्ते के लिए चलाई गई अक्षत योजना में 23 हजार 500 आवेदन प्राप्त जिनमें से लगभग 16 हजार 700 को लाभान्वित किया जा रहा है।
- आजीविका मिशन का बजट 20 करोड़ 85 लाख रुपये से बढ़ा कर, 60 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित।

राज्य में न्यूनतम मजदूरी 1 मार्च, 2008 से निम्न

क्र. सं.	श्रेणी	वर्तमान न्यूनतम मजदूरी	संशोधित न्यूनतम मजदूरी
1	Unskilled	73 रुप्ये से	100 रुपये
2	Semi Skilled	77 रुपये से	107 रुपये
3	Skilled	81 रुपये से	115 रुपये

रियासतकाल से दिये गए अधिकार के तहत बापी पट्टों की नियमन नीति बनाने की घोषणा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

- प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर क्षार–सूत्र हेतु operation theatres की स्थापना ।
- 40 नये आयुर्वेद औषधालय खोले जायेंगे
- 7 आयुर्वेद अस्पतालों को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा
- 7 नई मोबाईल आयुर्वेद इकाइयां स्थापित की जायेंगी।
- गौ–संवर्धन, पञ्चगव्य रसायन व गौ–उत्पादों की चिकित्सकीय उपादेयता के अध्ययन के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के तहत एक पीठ स्थापित की जायेगी।
- जयपुर सहित छहों मेडीकल कालेजों की जनाना विंग का विस्तार करने और महिलाओं के लिए wellness clinic की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये,

- अजमेर मेडीकल कालेज में Cardio Thoracic Centre की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये,
- जोधपुर सहित Medical Colleges में Super Specialities के सुदृढीकरण एवं DM Courses हेतु 4 करोड़ रुपये,
- अस्पताल के बेहतर प्रबन्धन के लिए सभी जिला अस्पतालों में एक–एक Health Manager के पद के सृजन की घोषणा।
- जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर व कोटा के Medical Colleges में Linear Accelerators की स्थापना public private partnership योजना के अंतर्गत की जायेगी।
- राज्य के नवगठित भरतपुर संभाग में public private partnership आधार पर medical college
- वर्ष 2008–09 में 9 जिलों में अच्छे निजी अस्पतालों के सहयोग से PPP मॉडल पर ICU स्थापित किये जायेंगे।
- अपने घर, मौहल्ले और गाँव को साफ–सुथरा प्रोत्साहित करने हेतु ग्राम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ। लक्ष्य पूरे करने पर एक लाख रुपये की राशि का पुरस्कार ।
- धौलपुर जिला चिकित्सालय को 200 से 300 Beds, चूरू जिला चिकित्सालय को 150 से 225 Beds, भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय को 325 से 400 Beds और बारां जिला चिकित्सालय को 200 Beds से 300 Beds वाले चिकित्सालय में upgrade किया जायेगा।
- चितौड़गढ़ के जिला अस्पताल की क्षमता 200 Beds से बढ़ाकर 300 Beds की जायेगी, जिसमें जनाना विंग का विस्तार शामिल होगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर को 30 से 50 Beds, भवानीमंडी को 50 से 75 Beds, संलूबर को 50 से 100 Beds, व केकड़ी को 50 से 75 Beds में upgrade किया जायेगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम की Bed क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 की जायेगी।
- वर्ष 2008–09 में भी 7 हजार से अधिक नर्सेज, जीएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी।
- आपातकाल की स्थिति में रोगियों को उच्च स्तरीय अस्पताल ले जाने हेतु राज्य व्यापी **'धनवंतरी एंबूलेंस सेवा योजना'** प्रारंभ की जाने की घोषणा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा निःशुल्क।
- राज्य के 8 जिले, जालौर, झालावाड़, टोंक, बीकानेर, राजसमंद, बारां, करौली और सवाईमाधोपुर केन्द्र की स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित। राज्य सरकार अपने स्वयं के खर्चे पर शेष 25 जिलों में भी यह योजना वर्ष 2008–09 से ही लागू करेगी।
- BPL एवं अन्य जरूरतमंद परिवारों के लिए financial empowerment की **'भामाशाह वित्तीय सशक्तीकरण योजना'** घोषित। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवार को एक smart card दिया जायेगा। जो भी smart card से लाभान्वित परिवार, घर की

महिला के नाम बैंक खाता खुलवायेगा, उसके खाते में, प्रोत्साहन स्वरूप, 1 हजार 500 रुपये राज्य सरकार जमा करायेगी।

- समाज के अन्य वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, लघु एवं सीमांत कृषक आदि पर भी जून 2008 तक लागू कर दी जायेगी, जिसके तहत भी महिला के नाम बैंक खाता खुलवाने वाले प्रत्येक परिवार को समान 1 हजार 500 रुपये भेंट किये जायेंगे।

जय जवान जय किसान :

- वर्ष 2002–03 में वित्तीय प्रावधान 73 करोड़ 88 लाख रुपये था, वह वर्ष 2007–08 में बढ़ कर 497 करोड़ रुपये, यानी लगभग 7 गुना हुआ और वर्ष 2008–09 में यह 619 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- वर्ष 2002–03 के मात्र 2 हजार 748 करोड़ रुपये के कृषि ऋण के मुकाबले वर्ष 2006–07 में 8 हजार 130 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाए गये। इस वर्ष ये ऋण लगभग 11 हजार 500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- 31 मार्च 2003 तक की बकाया 1 लाख 70 हजार 740 आवेदनों में से अब 65 हजार 899 आवेदन शेष। इन सभी को मार्च 2009 तक connection दे दिये जायेंगे।
- 26 हजार special category के आवेदकों को भी आने वाले वित्तीय वर्ष में connection दिये जायेंगे।
- वर्ष 2004 से अब तक बिजली कंपनियों को लगभग प्राप्त 60 हजार और आवेदकों को भी 2009 तक connection दे दिये जायेंगे। जिससे कि दिसंबर 2007 तक प्राप्त हुआ एक भी आवेदन, वर्ष 2009 के बाद शेष नहीं रहेगा।
- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेंहूँ व दलहन के लिए कृषकों को उपलब्ध कराये जाने वाले बीज पर अनुदान केवल 15 जिलों में मिलेगा। परंतु प्रदेश भर में समान अनुदान रहे, यह सुनिश्चित करने हेतु शेष जिलों में भी कृषकों को राज्य बीज निगम द्वारा अनुदान।
- Drip irrigation योजनाओं में, राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 10 एवं 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा। इससे दिये जाने वाला अनुदान क्रमशः 60 एवं 70 प्रतिशत हो जायेगा।
- कृषि मंडियों में आवंटन हेतु 10 प्रतिशत दुकानों अथवा भूखण्डों का किसानों के लिए आरक्षण का प्रावधान को बढ़ाकर 20 प्रतिशत और इन सभी दुकानों और भूखण्डों का आवंटन केवल महिलाओं को ही करने की घोषणा।
- अगले तीन वर्षों में आवश्यक कृषि शिक्षा पूर्ण करने वाली सभी छात्राओं को कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जायेगी।
- सहायक कृषि अधिकारी के 138 पद, और कृषि अधिकारी के 96 पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

- सहकारी संस्थाए के ऋण जमा कराने में 5 वर्षों से अधिक तक किसी तरह का default नहीं करने वाले किसानों को वर्ष 2008–09 के लिए interest subsidy देने की एक योजना ।

पशुपालन :

- वर्ष 2008–09 में 145 और पशु औषधालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा, जिनमें खटकड़ भी शामिल होगा।
- वर्ष में 250 पशु चिकित्सकों की भर्ती भी की जायेगी।
- ऊँट और ऊँट–पालकों को भी बीमा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार अनुदान प्रदान करेगी।
- बेरोजगार veterinary स्नातक तथा पशुधन सहायक हेतु **'डाक्टर का अपना क्लिनिक योजना'** लागू की जायेगी।
- दूध का दाम 280 रुपये प्रति किलोग्राम fat दर से भुगतान करने वाली milk unions को नई अथवा inactive सहकारी समितियों से दूध क्रय करने पर प्रति लाख लीटर दूध पर 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार देगी।
- पशुधन विकास हेतु Rajasthan Mission on Animal Husbandry शुरू करने की धोषणा

सैनिक कल्याण :

आने वाले वित्तीय वर्ष में एक विशेष Ex-servicemen Placement Company का निजी सहभागिता से गठन।

Ex-servicemen हेतु निम्नानुसार भुगतान की दरें तयः

S. No.	Post	Fixed remuneration (Rs. per month)
1	Security Guard	5500
2	Security Guard (armed)	6000
3	Supervisor	7500
4	Assistant Security Officer	11500
5	Security Officer	12000
6	Clerk	6000
7	Driver	7000
8	Plumber, Painter, Carpenter, Welder, Blacksmith etc.	6500

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता :

- BPL परिवारों के लिए वर्ष 2006–07 में प्रारम्भ पन्नाधाय जीवन बीमा तहत अब तक 7 हजार 690 परिवारों को 23 करोड़ 81 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है और 1 लाख 11 हजार बच्चों को 900 रुपये साल के हिसाब से लगभग 10 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है।
- Scooty प्रदान करने की जो योजना बनाई थी, उसमें संशोधन कर अब अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए अंक आवश्यकता को 65 प्रतिशत किया जायेगा।
- जसराज चौपड़ा समिति द्वारा की गयी अभिशंषाओं के अनुसार राज्य के अविकसित, सुविधाहीन और दूर–दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के विकास हेतु एक विशेष पैकेज तैयार करने का कार्य श्री रामदास अग्रवाल को सौंपा गया था। इनकी रिपोर्ट प्राप्त होते ही, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर, इन पर आधारित कार्य, देव नारायण योजना के तहत चलाये जायेंगे।
- पशुओं के साथ निष्क्रमण करने वाले पशु–पालकों के बच्चों हेतु 2 नये आवासीय विद्यालय, झालावाड़ एवं सागवाड़ा (डूँगरपुर) में बनाये जायेंगे।
- BPL परिवारों की कन्याओं के विवाह के समय 21 साल या अधिक उम्र होने पर, 10 हजार रुपये राशि दी जाएगी।
- अनुप्रति योजना वर्ष 2008–09 से संशोधित कर, IITs, IIMs एवं राष्ट्रीय स्तर के Medical Colleges इत्यादि में प्रवेश पर भी लागू।
- MLA – LAD योजना की 20 प्रतिशत राशि SC एवं ST बस्तियों और संबल गाँवों में विकास कार्यों हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव।
- अनुसूचित जाति और जनजातियों के आठवीं कक्षा उत्तीर्ण लगभग 2 लाख बच्चों को रोजगार योग्य बनाने के लिए **'एकलव्य'** के नाम से एक नया कार्यक्रम अगले वर्ष प्रारंभ किया जायेगा।
- Physically challenged छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में अनुरक्षण भत्ते की देय दर वर्तमान में 85 से 240 रुपये प्रतिमाह है। वर्ष 2008–09 से इस भत्ते को बढ़ाकर 150 से 750 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा।
- Physically challenged हेतु विश्वास योजना में देय अनुदान को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत।
- Physically challenged बच्चों के लिए भोजन भत्ते की राशि को 675 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 725 रुपये प्रतिमाह ।
- वृद्धजनों के लिए एक PPP आधारित old-age home **'चिरायु योजना'** वर्ष 2008–09 से प्रारंभ करने की घोषणा।

जनजाति विकास :

- आश्रम छात्रावासों में पढ़ाई के लिए सबसे आवश्यक मेज और कुर्सी हेतु वर्ष 2008–09 में आवश्यक प्रावधान।
- इसके अलावा, जनजाति उप योजना क्षेत्र में दस बालिका छात्रावासों का और सहरिया क्षेत्र में तीन बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा।
- महाराष्ट्र पैटर्न के तहत आवंटन वर्ष 2007–08 में 80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष में इसे 125 करोड़ रुपये ।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज :

- National Rural Employment Guarantee Scheme कार्यों पर कोई महिला, 100 दिन की मजदूरी करे, तो उसे एक साड़ी, या उसके समान मूल्य का घाघरा–ओढ़नी देने की **'अमृता देवी विश्नोई योजना'** प्रारम्भ।
- जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए इनके सदस्यों के दैनिक भत्ते की राशि की बढ़ोतरी:

जिला परिषद सदस्य	45 रुपये से	75 रुपये
पंचायत समिति सदस्य	35 रुपये से	60 रुपये
वार्ड पंच	30 रुपये से	40 रुपये

- ग्राम सेवक संवर्ग में 20 प्रतिशत पदों को एक नये वेतनमान – 4200–115–6500 में वरिष्ठ ग्राम सेवक के पदों में क्रमोन्नत करने की घोषणा।
- ग्राम सेवकों के 1 हजार 50 रिक्त पदों को अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भरा जायेगा।
- मगरा, डांग और मेवात विकास बोर्ड का बजट 5–5 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 7 करोड़ रुपये ।
- बीपीएल परिवारों के लिए अभिनव घरौंदा योजना प्रारंभ। इसके तहत ऐसे परिवार केवल 10 रुपये प्रतिदिन के भुगतान पर अपना स्वयं का मकान प्राप्त कर सकेंगे।
- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत को बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने की घोषणा।

देवस्थान, पर्यटन, कला व संस्कृति :

- 5 किलोवॉट तक load वाले सभी पूजा–स्थलों के विद्युत कनेक्शन्स को घरेलू श्रेणी में बदलने की घोषणा ।
- गुरू गोविन्द सिंह जी की 342वीं वर्षगांठ पर साहवा साहिब के सरोवर का जीर्णोद्धार और उसके आस–पास के इलाके का सौंदर्यकरण, चूरू जिले में नोहर–साहवा–चूरू सीमा से साहवा साहिब को मुख्य मार्ग से जोड़ने और जयपुर–नारायणा–नसीराबाद मार्ग पर नारायणा के नजदीक सावरदा साहिब को मुख्य मार्ग से जोड़ने के कार्य ।
- वर्ष 2008–09 में 400 मदरसों के लिए कम्प्यूटर क्रय हेतु 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।
- मदरसा बोर्ड के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित की जायेगी।
- ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रयोगात्मक रूप में टोडारायसिंह और जैसलमेर में कुलधरा सहित पालीवाल गाँवों का विकास।

शहरी विकास :

- 15 शहरों, यथा अलवर, झालावाड़, जैसलमेर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, धौलपुर, करौली, चूरू, नागौर, सवाई माधोपुर एवं सीकर के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लेकर 1 हजार 560 करोड़ रुपयों की लागत का Rajasthan Urban Services and Development Investment Project (RUSDIP) शुरू ।
- 30 अन्य शहरों के लिए राज्य सरकार अगले वर्ष RUIDFCO के माध्यम से Urban Infrastructure Bonds जारी करेगी जिससे कि इनमें आधारभूत ढांचें का विकास हा सके।
- अमानीशाह नाले को स्मृति वन की तर्ज पर विकसित किया जायेगा।
- Rajasthan Mission on Urban Poverty का गठन।
- सैन समाज के आराध्य देव श्री सैन जी महाराज की जयंती और धोबी समाज के देव श्री गाडगे महाराज की जयंती को ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित ।

अच्छा शासन :

- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों का मानदेय 1 अप्रेल 2008 से निम्न प्रकार बढ़ाया जा रहा है :

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	1000 रुपये से	1600 रुपये
साथिन	500 रुपये से	1000 रुपये
सहायिका	500 रुपये से	800 रुपये

- बहादुरी के लिए पदक मिलने वाले राजस्थान के वीरों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कारों में से कुछ में निम्न संशोधनः

वीर चक्र	70 हजार रुपये से	1 लाख रुपये
शौर्य चक्र	50 हजार रुपये से	75 हजार रुपये
राष्ट्रपति पुलिस एवं फायर सर्विसेज पदक	वर्तमान में देय नहीं है	75 हजार रुपये
राष्ट्रपति फायर सर्विसेज पदक	वर्तमान में देय नहीं है	50 हजार रुपये
राष्ट्रपति होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस पदक	वर्तमान में देय नहीं है	50 हजार रुपये
फायर सर्विसेज पदक	वर्तमान में देय नहीं है	30 हजार रुपये
होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस पदक	वर्तमान में देय नहीं है	30 हजार रुपये

- जिन पदकों के लिए पुरस्कार पहली बार घोषित किये जा रहे हैं, उनको भी इंदिरागांधी नहर परियोजना द्वितीय फेज में 25 बीघा सिंचित भूमि अथवा उसके एवज में 2 लाख रुपये दिये जायेंगे।
- स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन को 2 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिमाह।
- न्यायालयों में litigant sheds, वकीलों के लिए कॉमन रूम व अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2008–09 में उपलब्ध कराई जायेगी।
- बूंदी जिलें में वर्ष 1953 में 600 काश्तकारों को अधिक अन्न उपजाओ अभियान के तहत दी गई राजकीय भूमि का रियायती दर पर नियमन किया जायेगा।
- सरमथुरा, बस्सी, कोटा (ग्रामीण), गंगरार, हिण्डोली, भीलवाड़ा सदर, रावतसर और बड़ी सादड़ी में आठ नये पुलिस circle स्थापित किये जायेंगे।
- 25 नये पुलिस stations का सृजन तथा 139 नयी पुलिस चौकियां भी स्थापित की जायेंगी।
- आपराधिक मामलों के investigation के लिए बीकानेर में एक नई forensic science lab की स्थापना भी वर्ष 2008–09 में की जायेगी।
- पुलिस में 7 हजार 200 नियुक्तियां दी जा चुकी है और 4 हजार 500 से ज्यादा नियुक्तियां देने की प्रक्रिया चालू है।
- 3 हजार कांस्टेबल्स के और पद सृजित किये जाने की घोषणा। ये सभी पद अगले वित्तीय वर्ष के पहले चार माह में भर लिये जायेंगे।
- राज्य कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बकाया किश्त जारी। एक माह को छोड़कर, बाकी राशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
- कर्मचारियों और पेंशनर्स को राज्य के निजी और चेरीटेबल अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- वर्ष 2008–09 में 15 दिवस के उपार्जित अवकाश को समर्पित कर नकद भुगतान लेने की सुविधा दी जायेगी ताकि सभी राज्य कर्मचारी यह लाभ ले सकें।

- पूर्व में की गयी बजट घोषणा के अनुसार राज्य कर्मचारियों के लिए यात्रा–भत्ता नियमों में 16 वर्ष बाद संशोधन ।
- राज्यव्यापी RAJSWAN नेटवर्क स्थापित किया जायेगा।
- राज्य के सभी कोषालयों में वर्ष 2008–09 में system re-engineering और single transaction पर आधारित कंप्यूटरीकरण किया जायेगा।
- पेंशन विभाग का कंप्यूटरीकरण कर, एक centralised pension payment system लागू किया जायेगा।